उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग–1
संख्या 3327 / तीस–1–2004–26(4) / 2004
देहरादून, 30 अगस्त, 2005

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 सपठित अनुच्छेद 234 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करते हुए राज्यपाल महोदय उत्तरांचल न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल न्यायिक सेवा नियमावली, 2005

भाग I – सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः– (1) यह नियमावली उत्तरांचल न्यायिक सेवा नियमावली, 2005 कहलायेगी।

(2) यह नियमावली दिनांक 01.04.2006 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. सेवा की प्रास्थितिः– उत्तरांचल न्यायिक सेवा राज्य सेवा है जिसमें समूह 'क' और समूह 'ख' के पद सम्मिलित हैं।

3. परिभाषाएँः– जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में –

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से हैं;

(ख) 'मुख्य न्यायाधीश' का तात्पर्य उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश से है;

(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो 'भारत का संविधान' के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;

(घ) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है'

(ङ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(च) 'न्यायालय' का तात्पर्य उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल से है;

(छ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य सरकार से है।

(ज) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;

(झ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्ववृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति से है;

(ट) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तरांचल न्यायिक सेवा से है;

(ठ) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संदर्भ में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों तथा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ड) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य कैलेण्डर वर्ष के जनवरी के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(ढ) 'सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी)' का तात्पर्य सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) से है तथा इसमें अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा सेवा का कोई अन्य सदस्य शामिल है जिसे किसी अन्य नाम से तैनात किया गया हो;

(ण) 'सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी)' का तात्पर्य सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) से है तथा इसमें लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश, अपर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेल) तथा सेवा का कोई अन्य सदस्य शामिल है, जिसे किसी अन्य नाम से तैनात किया गया है।

भाग II – संवर्ग

4. सेवा संवर्गः– (1) सेवा में तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो न्यायालय के परामर्श से सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा में तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या में जब तक उप नियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जो परिशिष्ट–I में दी गई है, परन्तु यह कि–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी न्यायालय के परामर्श से समय–समय पर सेवा में किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकते हैं या आगस्थित रख सकेंगे, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(2) राज्यपाल ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं जैसा कि उचित समझें।

भाग III – भर्ती

5. भर्ती का स्रोतः– विलोपन सेवा में सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर भर्ती आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

6. आरक्षणः– उत्तरांचल राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग IV – अर्हताएँ

7. **राष्ट्रीयताः–** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्व बर्मा) श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रिकी देश, केनिया, युगाण्डा या संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार के पूर्वी अफ्रिकी देशों से प्रव्रजन किया हो):

परन्तु उपरोक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए भी उप पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण– ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जिसके लिए पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न ही देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे अनतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया।

8. शैक्षिक अर्हताएँ–सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को–

(क) उत्तरांचल में विधि द्वारा स्थापित अथवा इस निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्य भारत के किसी विश्वविद्यालय का विधि स्नातक।

(ख) देवनागिरी लिपि में हिन्दी का सम्यक् ज्ञान होना चाहिए।

(ग) कम्प्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए।

निमित्त जिला न्यायाधीश अथवा सम्बन्धित न्यायालय के रजिस्ट्रार का, यथास्थिति, न्यायालय द्वारा विहित प्रपत्र में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी अभ्यर्थी की सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में सेवा की अवधि की वास्तविक विधि व्यवसाय अवधि के लिए गणना की जायेगी और उसे इस निमित्त विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(घ) देवनागरी लिपि में हिन्दी का सम्यक् ज्ञान होना चाहिए परन्तु सेवा में सीधी भर्ती के लिए सरकार न्यायालय के परामर्श अथवा न्यायालय की संस्तुति पर अधिवक्ता के रूप में 03 वर्ष के विधि व्यवसाय की अनिवार्यता अर्हता से छूट दे सकती है :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा ऐसी अन्य श्रेणियों के समय–समय पर अधिसूचित अभ्यर्थियों के ममलों में किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी जैसाकि विहित किया जाय।

स्पष्टीकरण–(1) यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त अर्हताएं रखता हो किन्तु उसने किसी अन्य विधायी सेवा ग्रहण कर ली है तो उसकी पात्रता समाप्त नहीं होगी।

(2) विधायी व्यवसाय का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी से है जो विधि अधिकारी अथवा विधि परामर्शी के रूप में नियोजित हो या जिसे अपनी सेवा के निर्वहन में नियोक्ता को विधायी राय या परामर्श देना पड़ता है या नियोक्ता की ओर से न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है और उसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्थान के विधि अध्यापक शामिल होंगे।

9. आयुः– सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 22 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित

जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी जैसा कि विहित किया जाय।

10. चरित्रः– सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

11. वैवाहिक प्रास्थितिः– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

12. शारीरिक योग्यताः– किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्तनहीं है जिससे उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे आयुर्विज्ञान परिषद् का स्वास्थ्यता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

भाग V – सेवा में भर्ती की प्रक्रिया

13. रिक्तियों की अवधारणाः– राज्यपाल न्यायालय के परामर्श से भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पदों की रिक्तियों की संख्या तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेंगे और आयोग को सूचित करेंगे।

14. प्रतियोगिता परीक्षाः– (1) परीक्षा ऐसे समय तथा ऐसे दिनांकों को आयोजित की जायेगी जैसा कि आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाय और उसमें निम्नलिखित का समावेश होगा :

(क) लिखित परीक्षा में प्रक्रिया सहित ऐसे विधि एवं सम्बद्ध विषय होंगे जो नियम 17 के अधीन विहित पाठ्यक्रम में शामिल किये जायं जब तक कि न्यायालय और आयोग के परामर्श से उन्हें अन्यथा संशोधित न कर दिया जाय।

(ख) अभ्यर्थियों के हिन्दी और अंग्रेजी के ज्ञान की परीखा।

(ग) अभ्यर्थी की योग्यता, चरित्र, व्यक्तिगत, शरीर गठन तथा सेवा में नियुक्ति के लिए उसकी सामान्य उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए योग्यता के मूल्यांकन हेतु साक्षात्कार।

(2) लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी यदि कोई हो, प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे :

परन्तु लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी, यदि कोई हो, प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

परन्तु यह और कि–

(1) यदि किसी वर्ष विशेष में आयोग विचार से आवेदकों की संख्या विज्ञापन में अधिसूचित रिक्तियों के अनुपात में बहुत अधिक हो तो नियम 14 के अन्तर्गत लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए उच्च न्यायालय को सूचित करने के पश्चात् आयोग प्रारम्भिक लिखित प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकता है, जिसका पाठ्यक्रम परिशिष्ट– IV में दिया गया है।

(2) आयोग न्यूनतम अर्हता तथा चयनित अभ्यर्थियों की संख्या जो नियम 14 के अन्तर्गत मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे, के लिए भी मानक निर्धारित कर सकता है।

(3) प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना अन्तिम योग्यता अवधारित करने के लिए नहीं की जायेगी।

(4) प्रारम्भिक परीक्षा ऐसे स्थानों पर और दिनांक को और समय पर आयोजित की जायेगी जैसा आयोग द्वारा निर्धारित किया जाय।

15. आवेदन–पत्रः– (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा हेतु आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापनों में प्रकाशित विहित प्रपत्रों में आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।

16. शुल्कः– अभ्यर्थियों को आयोग तथा चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष को सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करना होगा।

17. पाठ्यक्रमः– प्रतियोगिता परीक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम एवं नियम परिशिष्ट–II में दिये गये हैं। परन्तु आयोग और न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा पाठ्यक्रम और नियमों में संशोधन किया जा सकेगा।

भाग VI – नियुक्ति, प्रोन्नति और स्थायीकरण

18. भर्ती की प्रक्रियाः– (1) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और उनके सारिणीकरण के पश्चात् आयोग द्वारा नियम 6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलया जायेगा, जिन्होंने इस सम्बन्ध में नियम 14(2) में नियत मानक के अनुसार अंक प्राप्त किये हों। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जायेंगे।

(2) इस नियमावली अथवा इन आदेशों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी उप नियम (1) के अधीन बुलाए गये अभ्यर्थियों के साक्षात्कार में भाग लेने के लिए आयोग द्वारा न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश, जिसे मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामित किया जायेगा, आमंत्रित किया जायेगा और अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में उनकी राय की आयोग द्वारा अवहेलना नहीं की जायेगी जब तक कि उनकी राय को स्वीकार न किये जाने के प्रबल एवं अकाट्य कारण न हों, जिन्हें आयोग द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा।

(3) अधोलिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अन्तिम रूप से प्रदान किये गये अंकों के योग द्वारा प्रकट प्रवीणता के क्रम में आयोग चयनित अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची तैयार करेगा :

परन्तु यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का योग बराबर हो तो ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा :

परन्तु यदि समान आयु के दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का योग बराबर हो तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा।

19. सेवा में नियुक्तिः– (1) नियम 20 के उप नियम (3) के अधीन आयोग द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर राज्यपाल का यदि समाधान हो जाय कि अभ्यर्थी इस नियमावली के अधीन ऐसी नियुक्ति के लिए अन्यथा योग्य एवं हकदार है तो सूची में दिये गये क्रमानुसार उप नियम (2) के प्राविधानों के अधीन सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के पद पर नियुक्ति करेंगे।

(2) नियम 20 के उप नियम (3) के अधीन तैयार की गयी सूची, विज्ञापित अथवा अधिसूचना द्वारा परिवर्तित समस्त रिक्तियां भरी जाने के बाद रद्द हो जायेंगी।

20. प्रशिक्षणः– (1) सेवा में सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के रूप में नियुक्त प्रत्येक प्राधिकारी से परिवीक्षा अवधि में न्यायालय द्वारा समय–समय पर विहित अवधि के लिए न्यायिक प्रशिक्षण जैसा उच्च न्यायालय उत्तरांचल विनिर्दिष्ट करें, प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

(2) प्रशिक्षण पाठ्क्रम न्यायालय के पूर्व अनुमोदन से उस संस्थान के निदेशक अथवा प्रमुख द्वारा जिसमें प्रशिक्षण लिया जाना है, समय–समय पर विहितकिया जायेगा।

(3) प्रशिक्षण अवधि के अन्त में संस्थान के निदेशक अथवा प्रमुख द्वारा प्रशिक्षण के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति के आचरण और कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी। यदि संस्थान के निदेशक अथवा प्रमुख की राय में किसी अधिकारी द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा नहीं किया गया है तो वह सुसंगत सामग्री सहित न्यायालय को अपनी राय अग्रसारित करेगा।

(4) उप नियम (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्यायालय उस पर विचार करेगा और प्रशिक्षण तथा परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाने के आदेश सहित समुचित आदेश पारित करेगा।

21. पुनश्चर्या पाठ्यक्रमः– (1) न्यायालय द्वारा सेवा के सदस्यों से, ऐसी अवधि और ऐसे स्थानों पर जो संस्थान के निदेशक अथवा प्रमुख के परामर्श से मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा विनिश्चित किया जाय, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेने की अपेक्षा की जा सकेगी।

(2) प्रत्येक पाठ्यक्रम के पश्चात् संस्थान के निदेशक अथवा प्रमुख द्वारा पाठ्यक्रम के दौरान अधिकारी के आचरण और कार्य निष्पादन की रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

22. परिवीक्षाः– (1) सेवा में स्थायी रिक्तियों में नियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति को परिवीक्षाधीन रखा जायेगा। प्रत्येक मामले में परिवीक्षा अवधि दो वर्ष होगी।

(2) न्यायालय विशेष मामलों में विनिर्दिष्ट दिनांक तक परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकेगा।

(3) परिवीक्षा अवधि के बढ़ाने से सम्बन्धित आदेश में यह विनिर्दिष्ट किया जायेगा कि ऐसी बढ़ाई गयी अवधि की वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिए गणना की जायेगी अथवा नहीं।

(4) यदि परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ाई परिवीक्षा अवधि के दौरान, यथास्थिति, किसी समय या उसके अन्त में न्यायालय को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा हो तो वह नियुक्ति प्राधिकारी को सिफारिश करेगा जिसके बाद नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित कर सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार (लियन) न हो तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी।

(5) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवाएं समाप्त की जायं किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा और सेवा में पुनर्नियुक्ति का भी पात्र नहीं होगा।

23. स्थायीकरणः— (1) परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में न्यायालय द्वारा नियुक्ति में स्थायी किया जा सकता है। स्थायीकरण के समय न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विषयों पर विचार किया जायेगा :—

(क) परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा विहित प्रशिक्षण संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर लिया गया है।

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया गया।

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की गई है।

(घ) न्यायालय का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा योग्य है।

(2) न्यायालय द्वारा परिवीक्षाधीन व्यक्ति के पक्ष में स्थायीकरण आदेश पारित किये जाने तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा।

24. ज्येष्ठताः— (1) उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 1951 (यथा उत्तरांचल में प्रवृत्त) के उपबन्धों के अधीन जो अधिकारी पहले से ही सेवा के सदस्य हैं उनकी ज्येष्ठता इस नियमावली के प्रवृत्त होने के समय उक्त नियमावली द्वारा अवधारित की जायेगी।

(2) इस नियमावली के प्रवर्तन के पश्चात् इस नियमावली के अधीन नियुक्त अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता भर्ती के वर्ष तथा नियम 20 के उप नियम (3) केअधीन नियुक्ति के लिए तैयार की गयी तथा अग्रसारित सूची में दिखाई गई योग्यता की स्थिति के अनुरूप अवधारित की जायेगी।

(3) सेवा में भर्ती किया गया अभ्यर्थी यदि रिक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत कियेजाने पर विहित समय अथवा बढ़ाई गई अवधि में सेवा ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है। इस सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

25. पदोन्नतिः— सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) के संवर्ग में पदोन्नति उस संवर्ग में विद्यमान रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के संवर्ग में सेवा के सदस्यों में से की जायेगी।

(2) सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) के पद पर पदोन्नति ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर चयन द्वारा की जायेगी।

(3) पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए पात्रता का क्षेत्र पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के चार गुणा तक सीमित होगा।

(4) मुख्य न्यायमूर्ति या उनके द्वारा मनोनीत कोई अन्य माननीय वर्तमान न्यायाधीश उप नियम (4) में निर्दिष्ट सूची में सम्मिलित अधिकारियों के अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त उन

अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेंगे जो उनकी राय में सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) के संवर्ग में पदोन्नति के योग्य हैं। अभ्यर्थियों की योग्यता के मूल्यांकन मुख्य न्यायमूर्ति अथवा मनोनीत वर्तमान न्यायाधीश इस प्रयोजन हेतु उनके सेवा अभिलेख, योग्यता, चरित्र तथा ज्येष्ठता का सम्यक् रूप से ध्यान रखेंगे। उक्त सूची में सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के संवर्ग के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली अपेक्षित रिक्तियों के दुगुनी संख्या में अधिकारियों के नाम सम्मिलित होंगे।

(5) मुख्य न्यायमूर्ति अथवा मनोनीत वर्तमान न्यायाधीश द्वारा उप नियम (4) के अधीन तैयार की गयी सूची न्यायालय के समक्ष रखी जायेगी। न्यायालय सिफारिशों का परीक्षण करेगा, पदोन्नति के लिए अंकित चयन करेगा और उन अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के क्रम में सूची तैयार करेगा जो पदोन्नति के योग्य समझे जायें तथा सभी रिक्तियों में पदोन्नति पूर्णतः उक्त सूची के अनुसार की जायेगी। उक्त सूची सभी अभ्यर्थियों को पदोन्नत किये जाने और सूची के समाप्त होने तक प्रवृत्त रहेगी।

भाग VII – वेतन

26. वेतनमानः– (1) सेवा में मौलिक रूप से स्थानापन्न अथवा अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को ऐसे वेतनमान स्वीकार्य होंगे जो समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित किये जायं।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट–III में दिये गये हैं।

27. वरिष्ठ वेतनमान तथा चयन पदक्रम (सेलेक्शन ग्रेड) में नियुक्तिः– न्यायालय द्वारा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) और सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) को माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके द्वारा मनोनीत माननीय न्यायाधीश की सिफारिश पर ऐसे वेतनमान के लिए उनके पात्र होने पर दो आश्वासित कैरियर वर्तमान वेतनमान (एशुयर्ड प्रोगेशन स्केल–ए0सी0पी0) प्रदान किये जायेंगे।

सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) को पहला ए0सी0पी0 वेतनमान सेवा में प्रवेश की तिथि से पांच वर्ष की निरन्तर सेवा के पश्चात् दिया जायेगा।

सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) को दूसरा ए0सी0पी0 वेतनमान इसके बाद और पांच वर्ष की निरन्तर सेवा के पश्चात् दिया जायेगा।

सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) को पहला ए0सी0पी0 वेतनमान सेवा में प्रवेश की तिथि से पांच वर्ष की निरन्तर सेवा के पश्चात् दिया जायेगा।

सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) को दूसरा ए0सी0पी0 वेतनमान इसके बार और पांच वर्ष की निरन्तर सेवा के पश्चात् दिया जायेगा।

28. अवकाशः– इस सेवा के सदस्यों को अवकाश विभाग का सदस्य नहीं माना जायेगा और वे अवकाश विभाग से भिन्न विभाग के सरकारी सेवकों को स्वीकार्य दर से प्रत्येक प्रकार का अवकाश अर्जित करेंगे।

29. प्रतिनियुक्तिः– इस सेवा के किसी सदस्य को उसकी सहमति से तथा न्यायालय के अनुमोदन के पश्चात् ही संवर्ग से इतर किसी पद पर न्यायालय द्वारा समय–समय पर नियत शर्तों/अवधि पर के लिए प्रतिनियुक्त किया जायेगाः

परन्तु विभिन्न अधिकरणों, सरकार के विभागों के पदों की या तो संवर्ग के पदों में गणना की जायेगी अन्यथा संवर्ग इतर के पदों पर प्रतिनियुक्ति नहीं की जायेगी।

भाग VIII – अन्य उपबन्ध

30. पक्ष समर्थनः– इस नियमावली के अधीन अपेक्षित से भिन्न किसी लिखित अथवा मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

केन्द्र सरकार की दिनांक 06.06.2001 की अधिसूचना तथा तत्पश्चात् प्राप्त किसी आदेश द्वारा आवंटित अधिकारी इस तथ्य का ध्यान किये बिना कि न्यायालय द्वारा उसकी नियुक्ति तदर्थ अथवा काम चलाऊ (स्टाप गैप) व्यवस्था के आधार पर की गई है, उत्तरांचल राज्य में उच्चतर न्यायिक सेवा के नियमित संवर्ग में नियुक्त समझे जायेंगे।

31. सेवा शर्तों में शिथिलताः– यदि राज्यपाल का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है तो वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह उक्त मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्ति दे सकते हैं या उसे शिथिल कर सकते हैं :

परन्तु किसी विशिष्ठ मामले में कठिनाई दूर करने के लिए किसी नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने, या उसे शिथिल करने से पूर्व राज्यपाल द्वारा न्यायालय तथा आयोग का परामर्श लिया जायेगा।

32. अधिवर्षता आयुः– इस सेवा के सदस्यों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष होगी।

33. अन्य विषयों का विनियमनः– ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कार्यरत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

34. बढ़ाई गई अधिवर्षता आयु का लाभ न उठाने का विकल्पः– ऐसे अधिकारी जो बढ़ाई गई अधिवर्षता आयु के लाभ उठाने के इच्छुक नहीं हैं, वे 59 वर्ष की आयु पूरी करने के कम से कम 6 महीने पहले अपना विकल्प दे सकेंगे, अधिकारियों द्वारा ऐसा विकल्प देने की स्थिति में उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवा निवृत्त किया जा सकेगा।

35. व्यावृत्तिः– इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 1951 (उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त) के अधीन पारित किसी आदेश पर ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

36. निरसनः– उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 1951 (उत्तरांचल में यथाप्रवृत्त) एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

परिशिष्ट–I
उत्तरांचल न्यायिक सेवा में पदों की संख्या
[कृपया नियम 4(2) देखें]

1. सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी)	.....	.....	57

2. सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी) प्रतिनियुक्ति हेतु	.....	.....	03
3. सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी)	.....	.....	47

परिशिष्ट–II
(कृपया नियम 17 देखें)
उत्तरांचल न्यायिक सेवा की प्रतियोगात्मक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे तथा प्रत्येक विषय के कुल अंक उसके सम्मुख दर्शाये गये हैं :–

1.	वर्तमान परिदृश्य	150
2.	भाषा	100
3.	विधि प्रश्नपत्र–I (मुख्य विधि)	200
4.	विधि प्रश्नपत्र–II (प्रक्रिया और साक्ष्य)	200
5.	विधि प्रश्नपत्र–III (राजस्व और दाण्डिक)	200
6.	व्यक्तित्व परीक्षा	100

1. वर्तमान परिदृश्य–यह प्रश्नपत्र भारत और विश्व में वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, पर अभ्यर्थियों के ज्ञान की प्रतिक्रिया के परीक्षण के लिए है। सामान्यतया वर्तमान परिदृश्य में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र की और उसकी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने वाले प्रश्नों के उत्तर सरल प्रकृति के होंगे जो मुख्यतया विधिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनतम विधायन एवं विशेष रूप से भारतीय संवैधानिक विधि और विकास पर आधारित होंगे।

2. भाषा–अंग्रेजी का एक प्रस्तर प्रस्तुत किया जायेगा और अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे उसका अनुवाद न्यायालयों में बोली जाने वाली सामान्य भाषा देवनागरी लिपि में करें .... 30 अंक

उसी प्रकार हिन्दी के एक प्रस्तर की सामन्य अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने की अपेक्षा की जायेगी .... 30 अंक

साथ ही साथ एक अंग्रेजी लेखन की भी परीक्षा होगी .... 40 अंक

3. विधि प्रश्नपत्र–I (मुख्य विधि)– संविदा विधि, भागीदारी विधि, सुखचार और अपकृत्य विधि से सम्बन्धित विधि, सम्पत्ति के अन्तरण से सम्बन्धित, जिसमें साम्य का सिद्धान्त भी सम्मिलित है, साम्य का सिद्धान्त न्यास और विनिर्दिष्ट अनुतोष, हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि के विशेष संदर्भ तक प्रश्नपत्र सीमित होगा।

4. विधि प्रश्नपत्र–II (प्रक्रिया और साक्ष्य)– इसमें साक्ष्य विधि, दण्ड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसमें अभिवचन के सिद्धान्त भी सम्मिलित हैं, का क्षेत्र समाहित होगा। प्रश्नपत्र में मुख्यतया व्यावहारिक मामलों, जैसे आरोप और विवाद्यक बनाना, साक्षियों से साक्ष्य

ग्रहण करने का तरीका, निर्णय लिखना और मामलों को सामान्यतया व्यवहृत करना आदि होगा परन्तु यह इन्हीं विषयों तक सीमित नहीं होगा।

5. विधि प्रश्नपत्र–III (राजस्व और दाण्डिक)– उ0 प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम (जैसा कि उत्तरांचल में लागू है) तथा भारतीय दण्ड संहिता।

टिप्पणी– अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा होगी कि वह विधि के समस्त प्रश्नपत्रों के उत्तर देते समय नवीनतम निर्णय तथा महत्वपूर्ण मामलों को उनमें उल्लिखित करें।

व्यक्तित्व परीक्षा– न्यायिक सेवा में सेवायोजन के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता उसके विद्यालय, महाविद्यालय के अभिलेखों और उसके बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के संदर्भ में देखी जायेगी। उसके सम्मुख जो प्रश्न रखे जायेंगे वह सामान्य प्रकृति के होंगे और यह आवश्यक नहीं होगा कि वे शैक्षिक अथवा विधिक प्रकृति के ही हों।

टिप्पणी– (1) व्यक्तित्व परीक्षा में प्राप्त अंक, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

(2) आयोग के पास यह अधिकारी सुरक्षित होगा कि वह किसी अभ्यर्थी को, जिसने विधि प्रश्नपत्रों में निर्धारित अंक प्राप्त न किये हों, जैसा व्यक्तित्व परीक्षण में आमंत्रित करने के लिए आवश्यक हो अथवा देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का पर्याप्त ज्ञान न हो, व्यक्तित्व परीक्षा के लिए आमंत्रित करने से मना कर सकते हैं।

परिशिष्ट–IV

प्रारम्भिक लिखित प्रवेश परीक्षा के प्रश्न–पत्र दो भागों में विभाजित किये जायेंगे।

भाग एक 50 अंक और भाग दो 150 अंका का होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में निम्नवत् विषय होंगे :–

भाग 1. सामान्य ज्ञान– भारत और विश्व की विशेषकर विधि जगत में घटित होने वाली दिन–प्रतिदिन की घटनायें सम्मिलित की जायेंगी। प्रश्न मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनता लागू विधान विशेषकर भारतीय संविधान, विधि और विकास तथा विधिक मामले परन्तु ये यहीं तक ही सीमित नहीं होंगे।

भाग 2. इसमें निम्नलिखित अधिनियम और विधियाँ सम्मिलित होंगी– सम्पत्ति अन्तरण, अधिनियम, हिन्दू विधि के सिद्धान्त व मुस्लिम विधि के सिद्धान्त, साक्ष्य अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता, दीवानी प्रक्रिया संहिता।